न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—265/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/265)

1. मोहम्मद बरकत पुत्र सुभान अली
2. चांद अली पुत्र बेली अली
3. मुस्ताक अली पुत्र नाथू अली
   समस्त जाति सैयद गौत्र बुखारी, निवासी अलीपुरा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. नाथू अली पुत्र हुसैन अली समस्त जाति सैयद गौत्र बुखारी, निवासी अलीपुरा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

3. सल्लू बानो पत्नि सुभान अली
4. मोहम्मद शरीफ पुत्र सुभान अली
5. मोहम्मद फरीद पुत्र सुभान अली
6. हमीदा पत्नि भंवर अली
7. रमजान पुत्र भंवर अली
8. इब्राहिम पुत्र भंवर अली
9. जायदा पुत्री भंवर अली
10. रूबीना पुत्री भंवर अली
11. हमीदा बानो पत्नि कमरूद्दीन
12. सलीम अली पुत्र कमरूद्दीन
13. जमीला बानू पुत्री कमरूद्दीन
14. बिलकेशबानू पुत्री कमरूद्दीन
15. शाहनाजबानू पुत्री कमरूद्दीन
    समस्त जाति सैयद गौत्र बुखारी, निवासी अलीपुरा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 राजस्व वाद संख्या 98/2021

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हसनखान, प्रकाश भाटी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 15 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 12.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2021 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वर्तमान अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.05.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2021 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 15 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 421 के लगते खसरा नम्बर 427, 428, 429 व 775 भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाथू अली की खातेदारी भूमि है तथा वर्तमान में सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 776 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 427 व 429 के दक्षिण में तथा खसरा नम्बर 775 के उत्तर में अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमियों के मध्य में ही अवस्थित है। उक्त रास्ता के उत्तर दिशा में गमन करने पर खसरा नम्बर 413 भी रास्ता ही है एवं कदीम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इसी रास्ते से आता जाता है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु एवं तथ्यों को प्रार्थना पत्र में अंकित किये बिना महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर मिथ्या एवं मनगढन्त आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, उक्त समस्त तथ्य रिकार्ड पर होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया गया जो काबिल निरस्त योग्य है। रास्ता खसरा नम्बर 413 से रास्ता खसरा नम्बर 776 में आता है एवं उसके लगते हुए उत्तर दिशा में रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 427 व 429 में प्रवेश करता है एवं खसरा नम्बर 429 के लगवां उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 428 भी रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है तथा उक्त खसरा नम्बर 428 के लगते हुए उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 421 अवस्थित है। जिसमें होकर रास्ता चाहा गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास कदीम से स्थाई रास्ता अवस्थित होकर पीढीयों से इसी रास्ते से आवागमन करता आ रहा है लेकिन रास्ता खसरा नम्बर 776 तथा उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 427, 428 तथा 429 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई बन्ध जिनके खेत खसरा नम्बर 415, 416, 417, 419 तथा 420 भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 421 के लगते हुए उत्तर दिशा में अवस्थित है एवं खसरा नम्बर 415 के उत्तर दिशा में लगते हुए सार्वजनिक आम रास्ता खसरा नम्बर 513 अवस्थित है जो अत्यन्त शुक्ष्म मार्ग है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों को छिपाकर असत्य कथनों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे अवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया जिससे निर्णय दिनांक 19.5.2025 काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब फरमाई

गयी जिस बाबत् अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स को कोई सूचना नहीं दी गयी एवं हल्का पटवारी द्वारा मुर्तिब कर प्रेषित कर दी। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी खसरा नम्बर 513, 413 एवं 776 रास्ता अवस्थित है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं उसके भाई बन्धों के खेतों से लगता हुआ है इस प्रकार एक स्वयं के खेतों से लगता हुआ रास्ता खसरा नम्बर 776, 413, 513 पूर्व से अवस्थित है एवं खसरा नम्बर 421 के उत्तर दिशा में भाई बन्धों के खेतों के पश्चात भी रास्ता खसरा नम्बर 513 अवस्थित है लेकिन रिकार्ड पर मौजूद मौका रिपोर्ट को दरकिनार कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। पूर्व से यदि रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है लेकिन स्वयं के खेतों के मध्य से गुजरते हुए रास्ता खसरा नम्बर 776 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई बन्धों के खेत जो रास्ता खसरा नम्बर 513 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 421 के मध्य में अवस्थित है को प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय से धोखा कारित करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को समझे बिना अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 1.7.2024 को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति बाबत् प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पेशी नियत की गयी थी लेकिन उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी दिनांक 23.7.2024 को नजरसानी याचिका प्रस्तुत की गयी जिस पर दिनांक 13.8.2024 को स्थगन आदेश जारी किया गया एवं निर्णय दिनांक 1.7.2024 की क्रियांविती स्थगित की गयी तत्पश्चात न तो नजरसानी याचिका पर कोई आदेश फरमाया गया ना ही आदेश दिनांक 1.7.2024 को निरस्त किया गया ना ही प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया ना ही बाद नजरसानी याचिका अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये एवं समस्त प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए दिनांक 19.5.2025 को पुनः खसरा नम्बर 422 में से 15 फीट चौडा रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया शुन्य एवं अवैधानिक होकर काबिल निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2021 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थी नाथू अली ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष इस आशय का पेश किया कि "प्रार्थी अपनी कृषि आराजी खसरा नम्बर 421 की उत्तर–पूर्व के कौने से खसरा नम्बर 422 जो अप्रार्थी संख्या 1 से 16/अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी का है उसमें से आता–जाता रहा है जो आगे पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 413 गै.मु रास्ता में मिल जाता है इसलिए प्रार्थी कीमतन

खसरा नम्बर 422 में 15 फीट चौडा तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 421 से गै. मु.रास्ता खसरा नम्बर 413 तक लम्बा रास्ता चाहता है। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र का सिर्फ अप्रार्थी संख्या 2 मोहम्मद शरीफ, अप्रार्थी संख्या 15 चांद अली व अप्रार्थी संख्या 16 मुस्ताक अली ने जवाब अपने शपथ पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया बाकी किसी भी अप्रार्थीगण ने अपना कोई जवाब पेश नहीं किया जबकि खसरा नम्बर 422 आपसी बंटवारा में अप्रार्थीगण संख्या 5 से 9 (स्व० भंवर अली के वारिसान के नाम आया हुआ है) उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति, उज्र, ऐतराज पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.5.2024 को मध्यनजर रखकर स्वीकार फरमाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 1.7.2024 का रिव्यु (नजरसानी) प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसपर सुनवाई की गई एवं पुनः तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करके दिनांक 19.5.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 422 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 4, 15 व 16 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त खेत खसरा नम्बर 422 अप्रार्थी संख्या 5 से 9 के हक अधिकार बंटवाडा में प्राप्त हुआ है तथा वर्तमान में वही काश्त कर रहे हैं इसलिए प्रथम दृष्टया जब तक सम्पूर्ण हितबद्ध खातेदारों द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं होती है तब तक उक्त अपील संधारण योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा मुख्य मुद्दा यह बार–बार उठाया जा रहा है कि प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 776 से रास्ता उपलब्ध है तो यहां पर यह अंकित करना उचित होगा कि खसरा नम्बर 413 गै. मु.रास्ता से दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 780/954 गै.मु.नाला है उक्त नाला आगे उत्तर की तरफ जाता हुआ खसरा नम्बर 776 गै.मु.नहर रकबा 0.01 हैक्टर में मिलता है तो रास्ता कौनसा है जिससे रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी अपने खेतों पर आता जाता है। अप्रार्थीगण ने बिना किसी राजस्व रिकार्ड के केवल मात्र न्यायालय हाजा को भ्रमित करने के मकसद से बार बार अंकित कर रहे हैं, जबकि खसरा नम्बर 413 के बाद आगे कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में ना ही दर्ज है और ना ही मौके पर मौजूद है। न्यायालय की भी यही मंशा है कि नजदीकी व सुगम रास्ता काश्तकार को उपलब्ध होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2023(2) पेज 1193, आरआरटी 2016(1) पेज 440, आरआरटी 2022–23 (सप0), 2019 आरबीजे 147, आरआरटी 2017(1) प्रस्तुत किए हैं।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.05.

2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की आराजीयात खसरा नम्बर 421 से गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 413 तक आने जाने के लिए खसरा नम्बर 422 में से 15 फिट चौडा रास्ता दिए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.05.2024 को तैयार मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में दिनांक 01.07.2024 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 की आराजीयात खसरा नम्बर 422 में से 15 फिट चौडाई में सिवायचक रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए।

उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2024 को रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2024 को तहसीलदार पीसांगन को पालना स्थगित बाबत तहरीर जारी की गई। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाए बिना दिनांक 15.05.2024 की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में दिनांक 19.05. 2025 को निर्णय पारित किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.05.2025 को प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पर आपत्ति व जवाब प्रस्तुत किया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने हेतु आदेश पारित किए जाने चाहिए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत आदेश पारित नहीं कर पूर्व में आई मौका रिपोर्ट अनुसार व पूर्व में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 अनुसार ही प्रकरण में दिनांक 19.05.2025 को निर्णय पारित किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदीयों का अवलोकन किए जाने से यह पाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 421 के लगते हुए खसरा नम्बर 427, 428, 429 व 775 भी प्रार्थी/रेस्पोडेंट की ही आराजीयात है। प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 429 में पहुंचने का कदीमी रास्ता मौजूद है जो कि नजरी नक्शे से स्पष्ट है। परंतु प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों को बताया ही नहीं गया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को अपनी मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया। अप्रार्थीगण/अपीलांट के खसरा नम्बर 422 से लगते हुए 414, 418, 422, 423, 424, 425, 426 भी है जो कि मौके पर एक चक के रूप में मौजूद हैं। जिनके बीच में से प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की गई है। खसरा नम्बर 427, 428, 429 व 775 भी प्रार्थी/रेस्पोडेंट के हैं परंतु प्रार्थी द्वारा मात्र खसरा नम्बर 421 के लिए ही आवेदन किया है।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 421 के उत्तर की ओर खसरा नम्बर 415, 416, 417, 419, 420 स्थित है जो कि प्रार्थी के सगे भाई बंध है, उनकी आराजीयात है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट के सगे भाई बंध के खसरा नम्बर 415 से लगता हुआ सरकारी आम रास्ता खसरा संख्या 513 है। सरकारी खसरा नम्बर 776 में से खसरा नम्बर 421 में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 429 में पहुंचने के लिए सरकारी खसरा नम्बर 776 में से मौके पर विद्यमान रास्ता लंबा है, जो कि नजरी नक्शे से स्पष्टतया प्रतीत होता है।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि प्रार्थी अपनी व्यक्तिगत सुविधा व मुख्य सडक से नजदीकी रास्ते के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुतोष चाहा गया था।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रावधान है कि रास्ते की मांग आत्यांतिक आवश्यकता होने पर हो अपितु केवल मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हो तथा यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर ही मंजूर किया जा सकेगा। तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में इन बिंदुओं पर विस्तृत विवेचना किए ही मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 422 में से 15 फीट रास्ता दिए जाने बाबत उल्लेख किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह समस्त उज्र उठाए गए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त आपत्तियों को दरकिनार करते हुए प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2024 के अनुसार ही निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के पश्चात भी उन पर किसी प्रकार की विवेचना नहीं की गई ना ही अपनी मौका रिपोर्ट में यह बताया गया कि खसरा नम्बर 427, 428, 429 व 775 भी प्रार्थी के ही हैं। परंतु प्रार्थी द्वारा मात्र खसरा नम्बर 421 के लिए ही रास्ते हेतु आवेदन किया गया है तथा खसरा नम्बर 422 में से रास्ते की मांग की गई है। जबकि नजरी नक्शे में लाल स्याही से स्पष्ट बताया गया है कि मौके पर मौजूद सरकारी आम रास्ता जो प्रार्थी व प्रार्थी के भाईबंध के खेत से लगता हुआ चालू कदीमी रास्ता है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व नजरी नक्शे का बिना गहन अवलोकन किए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2021 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पुनः नए सिरे से मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए तथा खसरा नम्बर 429, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 418, 414 में आवागमन हेतु रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है मौके पर आवागमन हेतु उपलब्ध है या नहीं तथा खसरा नम्बर 776 किस्म गै0मु0 नाला आवागमन हेतु उपलब्ध है या नहीं इन सब बिंदुओं का उल्लेख अपनी मौका रिपोर्ट में करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए विधिवत परीक्षण कर पुनः विस्तृत रूप

से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.02.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर